MAHARASHTRA LEGISLATURE SECRETARIAT
No. ....
Date..........
LIBRARY

महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल

श्री ओम प्रकाश मेहरा

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बम्बई में संयुक्त अधिवेशन

२ मार्च १९८१

माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों,

पिछले नवम्बर में राज्यपाल की हैसियत से अपना पद संभालने के बाद मुझे पहलीबार आपका स्वागत करते हुए और आपको सम्बोधित करते हुए खुशी होती है। महाराष्ट्र के प्रथम सरकारी सेवक की हैसियत से मैं महाराष्ट्र की सेवा करने की कोशिश करूंगा और इस काम में मैं आपका खुले दिल से सहयोग चाहता हूँ।

२. महाराष्ट्र की जनता ने सदन के हाल के उप चुनाव में मुख्यमंत्री को खुद के श्रीवर्धन चुनाव क्षेत्र से भारी मतों से चुनकर, जो कि प्रजातांत्रिक जगत् के इतिहास में शायद बेजोड़ है, एक बार फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा और विश्वास को साबित कर दिखाया है। इससे जाहिर है कि सरकार ने अबतक जिन प्रोग्रामों और नीतियों को अपनाया और शुरू किया है उनके बारे में अवाम की हामी मिल गई है और गरीब व पददलित लोगों के लिए इन प्रोग्रामों को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उनकी मंजूरी है। वास्तव में सरकार इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि इस जीत से उसके ऊपर समाज के कमजोर तबके के लोगों के प्रति न्याय करने के लिए जल्द ही सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

३. इस सरकार ने धर्मनिरपेक्षता, इंसानियत और रहम के उन्हीं मूल्यों को अपना उसूल बनाया है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने संजोया था और राज्य के प्रशासन में "सर्व धर्म सम भाव" के उनके उसूलों पर चलने की वह पूरी कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री की सदारत में राज्य स्तर पर एक समिति बनाई गई है जो इन उसूलों को फैलायेगी और इन मूल्यों की कदर बरकरार रखेगी। सरकार ने मंत्रालय के मुख्यद्वार पर शिवाजी की तस्वीर भी लगाई है, जो शिवाजी के आदर्शों को उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी और वह उसके मुताबिक अपनी नीतियों, प्रोग्रामों और कार्यों का रुख अपनाएगी। सरकार ऐतिहासिक रायगढ़ के चारों तरफ के इलाके का उसकी राष्ट्रीय अहमियत के अनुकूल विकास करने का वायदा करती है। नये साल के दिन से कुलाबा जिले का नाम रायगढ़ रखा गया है और इसी रायगढ़ के किले के पास कोंकण इलाके के लिए विश्वविद्यालय खोला जायेगा। छत्रपति में प्रेरणा का स्वर फूंकनेवाली जननी जीजामाता और छत्रपति के पिता जी के जन्मस्थान पर क्रमशः सिंदखेडराजा और वेरूल में वाजिब यादगार बनाने की भी तजवीज है। इस मकसद के लिए समितियां बनाई गई हैं।

४. मुख्यमंत्री ने लन्दन से भवानी तलवार वापस लाने के लिए कदम उठाये हैं। रायगढ़ किले में छत्रपति के शाही तख्त के ऊपर एक छत्र बनाने का भी सरकार का इरादा है। सरकार ने उन संस्थानों को भी मदद और इमदाद देने का तसफिया किया है जो कि सही मायने में शिवाजी की ऐतिहासिक गरिमा की तस्वीर पेश करते हैं और उनके धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी कारनामे को उजागर करते हैं। उदारता और इन्सानियत के ये उसूल, जिनका बयान महात्मा फुले और शाहू महाराज व डॉ. अम्बेडकर की जिन्दगी से हुआ है, वे इस सरकार की नीतियों और प्रोग्रामों की रहनुमाई करते रहेंगे।

५. हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं की बुनियाद बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के उसूलों पर बनी है और हमारे अजीज प्रधानमंत्री ने उसकी आर्थिक पुष्टि की है और उसे सामाजिक दिशा दी है। तिलक ने "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" का अपना जादुई नारा देकर इस देश में जागरण का संचार किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का आन्दोलन चलाकर हमें आजादी हासिल की। उसके बाद गरीबों के लिए यह तो पंडित जवाहर लाल नेहरू की सूझबूझ थी, जो हमारे समाज के प्रजातान्त्रिक गति को अमन क्रांति देने में कामयाब रही और यह उनकी तरकीब थी, जो कि इस सियासी प्रजातंत्र को समतावादी समाज में बदल दिया। वे मौजूदा भारत के शिल्पकार थे और योजनाबद्ध विकास की तरकीब की बुनियाद उन्होंने डाली थी। इस ध्येय को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्र ने एक बार फिर श्रीमती इंदिरा गांधी को सौंपा है और यह उनकी और उनके सरकार की कोशिश होगी कि वे प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी पद्धति के सहारे देश को मजबूत और संगठित बनाने और उसकी जनता को स्वावलम्बी व स्वाभिमानी बनाने की लोगों की इच्छा साकार कर सकें।

६. हमारे अजीज प्रधानमंत्री ने कमजोर तबकों की भलाई के लिए जो अनेक उपाय शुरू किये हैं उनमें एक बीस-सूत्री आर्थिक प्रोग्राम भी शरीक है। खासतौर से कमजोर और गरीब तबकों के प्रति गहरी हमदर्दी की वजह से वह पंचवर्षीय योजना की तजवीज, नीति और प्रोग्राम को भी उसी रुख में मोड़ रही है। यह हमारे समाज में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने की नजर से बनाया गया है। मेरी सरकार का रुख इन्हीं नीतियों और उसूलों के मुताबिक है।

७. राज्य की १९८०–८५ की पंचवर्षीय योजना को प्लानिंग कमीशन ने मंजूरी दे दी है, इसका कुल आउट-ले ६,१७५ करोड़ रुपये है। इसमें से ७३ फीसद आउट-ले कृषि, सिंचाई, बिजली, उद्योग, रोजगार गारंटी स्कीम और सहकारिता जैसे अहम और उत्पादक सेक्टरों के लिए होगा। इसी तरह १९८१–८२ के १,०८० करोड़ रुपये आउट-ले में से ७३.५ फीसद इन सेक्टरों में लगाया जायेगा।

८. पंचवर्षीय योजना और सालाना योजना में कमजोर और गरीब लोगों के लिए जो अहमियत दी गई है वह उनके लिए किये गये अनेक उपायों से जाहिर है। इस तरह से न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम को अहमियत दी गई है, इसके लिये १९८०–८५ की छठी पंचवर्षीय योजना में ४६४.५१ करोड़ रुपये के कुल आउट-ले की तजवीज की गई है। इससे हमारे समाज के कमजोर और गरीब लोगों की न्यूनतम जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

९. जिन प्रोग्रामों से बेरोजगारों, देहाती कारीगरों, छोटे और अल्प काश्तकारों, जमीन नदारद मजदूरों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक व शारीरिक तौर पर अपाहिज, आदि जैसे समाज के गरीब और कमजोर तबकों को सीधा फायदा होता है उन प्रोग्रामों के लिये २,१०० करोड़ रुपये लगाने की तजवीज रखी गई है।

१०. सरकार ने बूढ़े, असहाय और असमर्थ लोगों के लिये जो "संजय गांधी निराधार अनुदान योजना" नाम की एक एलाउन्स स्कीम शुरू की है, वह वास्तव में निराधार या बेसहारा लोगों के लिए है। इसके तहत करीबन १,९९,००० अर्जियां प्राप्त हुई हैं और वे अलग-अलग चरणों पर छानबीन के दौर पर हैं।

११. गांवों में गरीब और कमजोर लोगों को खुद का रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने "संजय गांधी स्वावलंबन योजना" को मंजूरी दी है, जो कि पढ़ेलिखे या अनपढ़ छोटे उद्यमियों को कर्ज देने की स्कीम है। इसके तहत उन्हें ५०० रुपयों से २,५०० रुपयों तक बिना जमानत और ब्याजमुक्त कर्ज दिया जायेगा और यह बारह सालों में लौटाया जायेगा। इस स्कीम से उन लोगों को जल्द कर्ज मिल जाता है जिन्हें खुद का रोजगार खोलने के लिए थोड़े कर्ज की जरूरत है। इसके लिए करीब बारह लाख अर्जियां प्राप्त हुई हैं और उस पर कार्यवाही की जा रही है। यह स्कीम देहाती कारीगरों के लिये ब्लॉक लेवल, बहुउद्देशीय बलुतेदार सोसायटी, आदि जैसी खुद को रोजगार दिलाने वाली स्कीमों की पूरक है। दोनों स्कीमों के तहत बहुत-सी अर्जियों को मंजूरी दी गई है और संबंधित लोगों को फायदा पहुंचा है।

१२. देहाती युवकों को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिये तालीम देने के मकसद से भारत सरकार ने जो ट्रायसेम की योजना बनाई है, उसे राज्य में छोटे उद्यमियों को जरूरी माली इमदाद जल्द मुयस्सर करने के लिये माकूल पैसों का इंतजाम करके जोरों से अमल में लाया जायेगा।

१३. सरकार ने रोजगार गारंटी स्कीम को अमल में लाने को उच्च प्राथमिकता दी है। १८ करोड़ श्रमदिन रोजगार पैदा करने का लक्ष्य पूरा करने के मकसद से इस योजना के लिये राज्य की सालाना योजना में पर्याप्त इंतजाम किया जायेगा। रोजगार गारंटी स्कीम के बारेमें समय समय पर, लगातार नजरसानी की गई है और उसमें तरमीम की गई है और हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है, जोकि बड़े पैमाने पर जमीन के विकास की गुंजाईश का पता लगायेगा। इसमें जमीन के नीचे के पानी की सहूलत में इजाफा करने के लिये मिट्टी का बचाव और पानी इकट्ठा करने के उपायों के साथ साथ गैर सरकारी जमीनों में कुएं बनाने का, उनकी मरम्मत का और उन्हें गहरा करने का काम शरीक है। राज्य में राष्ट्रीय देहाती रोजगार के लिये सरकार, केंद्र द्वारा इमदाद प्राप्त राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम शुरू करेगी। यह देखा जायेगा कि ये दोनों प्रोग्राम खासतौर से जमीन नदारद मजदूरों और छोटे और अल्प काश्तकारों की तरक्की के लिए कारगर साबित होते हैं।

१४. वर्षाकालीन अधिवेशन में दिये गये वायदे के मुताबिक, छोटे और अल्प काश्तकारों का फसल का बाकी कर्ज सरकार ने राष्ट्रीकृत और सरकारी बैंकों को अदा कर दिया है। इस सिलसिले में, पहले ४९ करोड़ रुपये जो खर्च होने का अंदाज था उसके मुकाबले में, इसपर अब कुल खर्च करीब ५७ करोड़ रुपये है। साथ ही इन किसानों में अपने पैर पर खड़ा होने की कूवत पैदा करने के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं। छोटे, अल्पकाश्तकार और जनजाति के किसानों की जमीनों में कुएं खोदने का एक खास प्रोग्राम भी हाथ में लिया गया है और यदि कुओं में पानी नहीं निकला, तो इस स्कीम के तहत ६,००० रुपये तक कर्ज माफ कर दिया जायेगा।

१५. समाज के कमजोर तबकों की हालत में सुधार करने के मकसद से जो दूसरे कदम उठाये गये हैं, उनमें इस सरकार का यह फैसला भी शरीक है कि, यदि दूसरी गुंजाईश मौजूद हो, तो गरीब किसानों की जमीन नहीं ली जायेगी और जहां ऐसी जमीनें हासिल करना बहुत

जरूरी हो, तो उन्हें जल्द मुआवजा देने का खास इंतजाम किया जायेगा। देहाती दूध उत्पादकों के लिए ऊंची दर पर दूध की कीमत मुकर्रर की गई है। जहां भी गुंजाईश है, छोटे और औसत दर्जे के अखबारों को मिलने वाली सहूलत में भी वाजिब तरमीम की गई है। इस गरज से कि, कर्मचारी और खासतौर से निचले दर्जे के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के महीने से ही पेन्शन मिलने लगे, पेन्शन देने के तरीकों को सरल बनाया जा रहा है। कुछ दफ्तरों का मुख्य मंत्री महोदय ने अचानक मुआयना किया और उन्हें वहां जो खामियां मिली हैं, उनकी वजह से कुछ ऐसे उपाय किये जा रहें हैं जिससे एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को ज्यादा कारगर बनाया जा सके और वहां उन लोगों के लिए माकूल सहूलतें दी जा सकें जो कि सरकारी दफ्तरों में आते हैं।

१६. सरकार, शहरी इलाकों के झोपड़वासियों और बम्बई के उन पुराने मकानों के बारेमें, जो गिरने की सूरत में हैं, गंभीरतापूर्वक सोच रही है। झोपड़पट्टियों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अबतक निवासियों को सहूलत देने के लिए हरएक झोपडी पर १५० रुपये खर्च किया जाता था उसे अब बढ़ाकर २०० रुपये कर दिया गया है और जिन मकानों से उपकर लिया जाता है, उनकी दुरुस्ती के लिए फी स्क्वेअर मीटर जो १२० रुपये खर्च किया जाता था वह बढ़ाकर २०० रुपये कर दिया गया है। सरकार इस बात से वाकिफ है कि गुजश्ता सालों से इस सिलसिले में जो कारवाई की गई थी वह वास्तव में माकूल नहीं थी और इस दिशा में गतिशील, मुस्तकिल और असली कारवाई की जरूरत है। सरकार इस बात को ख्याल में रखते हुए फौरन ही ऐसी एक स्कीम का ऐलान करेगी जिसे मुकर्रर समय में पूरा किया जायेगा। इससे समाज के गरीब लोगों की जायज जरूरतें पूरी हो सकेंगी। यह काम, स्कीम के तहत शहरी जमीन, जिसमें बेशी खाली जमीन शरीक है, उसे लोगों की भलाई के लिए वाजिब इस्तेमाल करके, पूरा किया जायेगा और इस स्कीम से शहरी इलाकों में लोगों के रहन सहन में भी तरक्की होगी। इस स्कीम के अलावा इस साल में बम्बई की पुरानी इमारतों की फिर से मरम्मत करके २,००० नये मकान भी हासिल होंगे।

१७. चालू साल के दौरान महाराष्ट्र गृहनिर्माण और क्षेत्र विकास प्राधिकरण १२,००० मकानों का काम पूरा करना चाहता है और २८,००० नये मकानों का काम शुरू करने का इरादा रखता है। उसी तरह गिरे हुये या गिराये गये मकानों का फिर से निर्माण करके करीब २,००० मकान और मिल जाने की उम्मीद है।

१८. सरकार, देहाती जमीन नदारत और बेघर लोगों के लिए मकान बनाने के प्रोग्राम पर तेजी से अमल करेगी। हर झोपड़ी के लिए १,५०० रुपये का जो इन्तजाम था, उसमें इजाफा करके अब २,००० रुपये कर दिया गया है और पहले से बनी झोपड़ियों की दुरुस्ती के लिए एक स्कीम मंजूर की गई है। १९८०-८१ माली साल में ५३,८०० मकान पूरे हो जायेंगे। इसके अलावा १९८१-८२ में और ५४,००० मकान बनाने की तजवीज है।

१९. महात्मा फुले पिछड़ी जाति विकास निगम अपने खास कार्यक्रम के तहत अगले साल और ५४,००० लोगों को खुद का रोजगार खोलने का फायदा देने की तजवीज कर रहा है।

२०. केवल अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए १९८१–८२ साल की जो खास कम्पोनेन्ट योजना है, वह ५७ करोड़ रुपये की होगी और उससे २ लाख कुनबों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है।

२१. सरकार, जनजाति उपयोजना को तेजी से अमल में ला रही है, जिसे खासकर आदिवासी इलाकों में और अन्य इलाकों में असमानता को दूर करने के लिए और आदिवासियों की माली हालत बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम में खेती, सिंचाई, तालीम, सड़कें बनाना, बुनियादी जरूरतें पूरी करना वगैरह शरीक है।

२२. सरकार आदिवासियों को अपनी दस्तकारी की तरक्की के लिए मदद करने और उन्हें जरूरी माली इमदाद देने और बाजार का इंतजाम करने के लिए भी स्कीम बना रही है।

२३. भारत सरकार ने थाना और रायगढ़ जिले की "कातकरी", यवतमाल और नांदेड़ जिले की "कोलाम" और चंद्रपुर जिले के भामरागड इलाके की "मडियागोंड" ऐसी तीन आदिम जातियों को चुना है। उनकी माली और सामाजिक हालत बेहतर बनाने के लिए खास प्रोग्राम बनाये जा रहे हैं और खास इस मकसद के लिए रखे गये अधिकारी इन्हें अमल में लायेंगे।

२४. विश्व बैंक की मदद से एक समेकित मछली उद्योग का प्रोजेक्ट खोलने की तजवीज है। इसपर १० से १५ करोड़ रुपये खर्च होने का अंदाज है और इसके तहत मछली के बीज फार्म, खारे पानी की मछली का उद्योग, जरूरी बुनियादी सहूलतें देना और मछुहारों के लिए घर बनाना शामिल है। इस प्रोजेक्ट को जब अमल में लाया जायेगा, तो इससे हमारे समाज के कमजोर तबकों को खासकर कोलियों को फायदा मिलेगा।

२५. २० सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, जिसका पहले ही जिक्र किया गया है, शिद्दत से जारी किया जा रहा है और उसे ठीक से अमल में लाने के लिये एक खास मशिनरी का इंतजाम किया गया है।

२६. सरकार, राज्य के मुख्तलिफ हलकों और इलाकों का समान विकास करने की जरूरत से वाकिफ है। सरकार इस बात को ख्याल में रखते हुए असमानताओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इसी बीच, मुख्य मंत्री ने विदर्भ और मराठवाडा की जोर शोर से तरक्की के लिए कई प्रोजेक्टों का ऐलान किया है।

२७. सरकार ने कोंकण में अलग से एक विश्व विद्यालय बनाने का फैसला किया है, जिसमें मुख्तलिफ फैकल्टियों को नई दिशा दी जायेगी। सरकार ने रायगढ़ काम्प्लेक्स के साथ एक मेडिकल कालेज खोलने का फैसला किया है, जो कि इस पिछड़े इलाके की एक लम्बे अर्से से अहम जरूरत थी। इस इलाके में एक इंजिनियरिंग कालेज और एक पालिटेक्निक शुरू करने का भी इरादा है।

२८. मुख्य मंत्री की सदारत में एक कॅबिनेट कमेटी बनाई गई है, जो पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण, पहाड़ी व कम बारिशवाले और सूखे इलाके के लिए प्रोग्राम बनायेगी। कोंकण के प्रोग्राम में बागबानी, पर्यटन और मछली उद्योग का विकास शरीक है, इसकी वजह से विदेशी मुद्रा की

मिलकियत में इजाफा होने में मदद मिलेगी। कोंकण के विकास में दरिया के किनारे का राजमार्ग अहमियत रखता है और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर मंजूर कराने की कोशिश की जायेगी। सरकार छठी योजना के दौरान खार जमीन के विकास प्रोग्राम पर जोर शोर से अमल करेगी।

२९. मुख्य मंत्री के तकाजे पर प्लानिंग कमीशन ने एक विशेषज्ञ समिति बनायी है, जो कि कोंकण इलाके में पश्चिम की ओर बारिश के पानी के बहाव का सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की गुंजाईश का पता लगायेगी। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने श्री पी. एम्. बेलिआप्पा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल विद्युत आयोग, की सदारत में एक दूसरी समिति बनाई है, जो कि कोंकण में पश्चिम की ओर बहने वाले बारिश के पानी को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने की गुंजाईश का पता लगायेगी। इस समिति ने विस्तृत छानबीन के लिए पांच जगहों को चुना है। यह अपना काम करीब दो हफ्तों में शुरू करेगी।

३०. पश्चिम घाट के इलाकों का चौतरफा विकास करने के लिए नया तरीका मुकर्रर करने के मकसद से, राज्य के मुख्य मंत्री की सदारत में पश्चिम घाट के आसपास के राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक ऊंचे पाये की समिति की बैठक ८ मार्च १९८१ को होनेवाली है। प्रोग्राम में तरमीमशुदा वनशास्त्र, बड़ी कीमत के पौधे लगाना, जानवरों की हिफाजत, दूध उद्योग और बागवानी शामिल है।

३१. महाराष्ट्र से पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स और फर्टिलाइजर प्रोजेक्टों को हटाने के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी, इसलिए मुख्य मंत्री ने ९ जून १९८० को अपना कामकाज संभालने के बाद उसी दिन खुद इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से चर्चा की और उन प्रोजेक्टों को महाराष्ट्र राज्य में रखने की मंजूरी हासिल कर ली। रायगड़ जिले में थल-वायशेत में राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कारपोरेशन, फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट खोलने का काम कर रहा है और वह इस दिशा में काफी काम पूरा कर चुका है।

३२. रायगड़ जिले में करीब ६३५ करोड़ रुपये की लागत का पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स पूरा हो जाने पर रायगड़ और रत्नागिरी जिलों में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार हासिल होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण की मंजूरी दे दी है और दूसरे चरण के सिलसिले में भारत सरकार का फैसला मिलने से, जिसकी जल्द ही उम्मीद है, राज्य में गैस पर चलने वाले उद्योग और नेफ्था पर चलने वाले अॅरोमेटिक्स काम्प्लेक्स जल्द ही खोलना मुमकिन हो सकेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि भारत सराकार रायगड़ जिले के उसर गांव में प्रमुख गैस क्रॅकर और १ या २ डाउनस्ट्रिम युनिट खोलने के लिए राजी हो गई है। पूरे काम्प्लेक्स को चालू करने के सिलसिले में तमाम बातों का ख्याल रखने और काम्प्लेक्स के काम को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी की शक्ल में राज्य स्तर पर एक नया निगम कायम किया जा रहा है।

३३. अब मैं सरकार के उन कार्यक्रमों की दूसरी अहम बातों का जिक्र करूंगा, जिन्हें इस साल जारी रखने और शुरू करने का सरकार का इरादा है।

३४. सरकार ने राज्य की कानून और व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं और मैं इसमें से कुछ आपके सामने रखूंगा। वर्षाकालीन अधिवेशन में मुख्य मंत्री के वादे के मुताबिक बम्बई, पुना और नागपूर शहरों में बीट पद्धति लागू की गई है। मध्य और पश्चिम रेल्वे पुलिस युनिट का पुनर्गठन किया गया है। विशेष रिजर्व पुलिस दल में बढ़ोतरी की गई है और एक अलग पुलिस उप महानिरीक्षक के तहत अपराध का पता लगाने के लिए विशेष खुफिया दल का गठन किया गया है। ट्राफिक पुलिस को मजबूत बनाया गया है।

३५. अलग-अलग स्तरों पर पुलिस और पुलिस अधिकारियों के एसोसिएशन को मान्यता देने का सवाल काफी अरसे से पड़ा हुआ है। इस मसले को हल करने के लिए मुख्य मंत्री ने उनके नुमाइन्दों से अनेक बार विस्तार से चर्चा की है और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने दोनों पार्टियों द्वारा अपनाये गए तरीकों और शर्तों पर पुलिस एसोसिएशन को मान्यता दे दी है और इससे पुलिस और पुलिस अधिकारी बहुत खुश हैं।

३६. काफी सालों से पुलिस के लिये मकानों की कमी बनी रही है और स्वाभाविक है कि इससे उन्हें बड़ी तकलीफ है। इसलिये सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि करीब ३५,००० मकानों की कमी को चालू योजनाकाल में दूर किया जायेगा। इस अवधि के आखिर तक हर एक पुलिसवालों को मकान की सहूलत मिल जायेगी।

३७. इन तमाम कार्रवाईयों से पुलिस का हौसला बढ़ा है। पुलिस ने बम्बई में ही नहीं बल्कि तमाम राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जो काम किया है, उसके लिए वे बधाई के काबिल हैं।

३८. देहाती अर्थव्यवस्था में खेती का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। सरकार खेतिहरों के कई सवालों को सुलझाने की संजीदगी से कोशिश कर रही है। सरकार ने खेतिहरों को जो ५५ करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज माफ कर दिया है और खाद की कीमत के लिए माली इमदाद दी है, वह उसकी तशवीश का सबूत है। सरकार राज्य की खेती अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और भी कदम उठाने का मनसूबा रखती है।

३९. महाराष्ट्र में तिलहन की पैदावार उसकी जरूरत से काफी कम है। सरकार ने उपभोक्ताओं को खाने का तेल मुआफिक कीमत पर मुहैय्या करने के मकसद से गर्मी के मौसम में उगाई जानेवाली मूंगफली की खेती में इजाफा करने के लिए एक खास अभियान शुरू किया है। प्रधान-मंत्री ने मुख्य मंत्री को सलाह दी है कि वे गर्मी के मौसम में उगाई जानेवाली मूंगफली की खेती ज्यादा काश्त में करने पर जोर दें। इन खास कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि चालू साल के दौरान गर्मी के मौसम में उगाई जानेवाली मूंगफली की काश्त, प्रधानमंत्री ने जो उम्मीद की है, उस से भी ज्यादा होगी। इस दिशा में सरकार ने पहली बार खेतिहरों को अच्छे दर्जे के मूंगफली के बीज मुहैय्या करने और सिचाई के लिए पानी की दर कम करने का फैसला किया है।

४०. सरकार ने दाल और तिलहनों की पैदावार में इजाफा करने के लिए जोर शोर से प्रोग्राम शुरू किया है।

४१. सब तरफ सही ढंग से प्रसार कामों को संगठित करना खेती विकास के लिए जरूरी चीज है। सरकार ने १९८१–८२ से विश्व बैंक की मदद से प्रसार ट्रेनिंग और विजिट पद्धति शुरू करने का फैसला किया है। इस प्रसार पद्धति की खासियत यह है कि इसमें प्रसार एजेन्सियों और विश्वविद्यालयों में सतत संबंध रखा जाता है।

४२. क्योंकि राज्य सरकार ने, जैसा की पहले जिक किया गया है, छोटे किसानों और अल्प किसानों का फसल के लिए लिया हुआ कर्ज अदा कर दिया है, इसलिए वे फिर से कर्ज ले सकते हैं। फिर भी, राज्य की खेती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बारिश पर निर्भर होने की वजह से उन्हें दुबारा कर्ज न लेना पड़े, इसलिए उन्हें इस जोखिम से बचाना जरूरी है। इसलिए सरकार ने १९८०–८१ रबी मौसम में बिना सिंचाई से पैदा होनेवाली गेहूं की फसल उगाने की पायलट पद्धति के आधार पर, फसल बीमा योजना शुरू करने का फैसला किया है। १९८१–८२ के खरीफ मौसम से इस योजना को अधिक व्यापक बनाया जायेगा।

४३. सरकार यह जरूरी समझती है कि किसानों को उनकी फसल की मुनासिब कीमत मिले। भारत सरकार ने खेती उपज की कीमत मुकर्रर करनेवाले आयोग की सिफारिशों पर गौर करके तमाम देश में अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि की समर्थित कीमतें मुकर्रर की हैं। सरकार, आयोग द्वारा खेती माल का पैदाईशी खर्च मुकर्रर करने संबंधी अपनाये गए तरीके में वाजिब तब्दीली करना चाहती है। सरकार ये भी चाहती है कि, मौजूदा हालत में किसान खेती की मुख्तलिफ चीजों की पैदाईश पर प्रत्यक्ष रूप से जो खर्च करती है, हिसाब में नहीं लिया जाता है या कुछ हद तक ही हिसाब में लिया जाता है, पैदाईशी खर्च मुकर्रर करते वक्त पूरी तरह हिसाब में लिया जाना चाहिये। सरकार ने शिद्दत से इस बात को आयोग के सामने पेश किया है। आयोग इस प्रकार तब्दीली के लिए रजामन्द हो जाने पर किसानों को अपने माल की ज्यादा समर्थित कीमत मिल सकेगी।

४४. किसानों की माली हालत बेहतर बनाने के लिए उसे अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत मिलना ही काफी नहीं है। इसके साथ ही उसे उन प्रक्रिया युनिटों के मुनाफे में भी हिस्सा मिलना चाहिए, जो उसकी खेती की पैदावार पर चलते हैं। सरकार इसलिये राज्य के सहकारी सेक्टर में खेती की पैदाइश पर चलने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है और छठी योजना के दौरान ज्यादा से ज्यादा शक्कर कारखानों और कताई मिलों की स्थापना करने की हर कोशिश करेगी। इस प्रकार उसने राज्य के कपास पैदा करने वाले हर जिले में दो कताई मिलें और जहां ज्यादा मिकदार में तिलहन की पैदाईश होती है, वहां तेल के कारखाने कायम करने का तसफिया किया है।

४५. अक्तूबर १९८० में, जबकि बहुत से ग्रामीण इलाकों में ज्वार और धान जैसे अनाजों की कीमतें बेहद घट गयी थीं, उस वक्त राज्य सरकार ने इन अनाजों का १०५ रुपये फी क्विंटल की समर्थित कीमत पर खरीदना शुरू किया। बाद में, नवंबर से, राज्य सरकार ने यह समर्थित कीमत १२२ रुपये फी क्विंटल तक बढ़ा दी। यह भी तय किया गया कि, जब कभी खुले बाजार में इन अनाजों की कीमतें समर्थित कीमतों की अपेक्षा बढ़ जाएं, सरकार खुले बाजार से ये अनाज खरीदना शुरू करेगी। इस फैसले के मुताबिक अनाज की खरीदी शुरू की गयी है। इन बहुत से इलाकों की

वजह से काश्तकारों को ज्वारी, धान और चावल के लिये ज्यादा कीमतें मिल सकती हैं। इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि, चालू साल में राज्य सरकार ने समर्थित कीमत पर और खुले बाजार में भी बाजरे की खरीद पहले पहल शुरू की है।

४६. प्याज उगानेवालों को उनकी फसल के लिये उचित कीमत मिले इस हेतु, सरकार ने चालू वर्ष, पहली बार, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की मातहत समर्थित कीमत पर प्याज खरीदना शुरू किया है। चालू समर्थित कीमतें प्याज के दर्जे के मुताबिक ६० से ७५ रुपये फी क्विंटल है। 'नाफेड' की ओर से भी इन्हीं भावों से प्याज की खरीदी करवाने में भी राज्य सरकार को कामयाबी हासिल हुई है।

४७. कपास की एकाधिकार खरीदी योजना जारी रखी गई है और कपास की अलग-अलग किस्मों के लिये राज्य ने जो गारंटी कीमतें मुकर्रर की हैं वे भारत सरकार द्वारा मुकर्रर की गई समर्थित कीमतों से १४ से ३९ फीसद ज्यादा हैं। चालू साल की गारंटी कीमतें गुजरे साल की गारंटी कीमतों से १८ से ४० फीसद ज्यादा हैं।

४८. १९७९–८० के दौरान महाराष्ट्र में शक्कर की पैदावार १३.६५ लाख टन थी और अंदाज है कि १९८०–८१ में यह पैदावार २० लाख टन तक होगी। पिछले वर्ष किसानों को प्रति मेट्रिक टन १२५ रुपये अदा की गई गन्ने की अग्रिम दर के मुकाबले में चालू वर्ष में राज्य सरकार ने अग्रिम दर १८० रुपये नियत की है और हाल ही में कारखानों को सलाह दी है कि वे प्रति मेट्रिक टन २०० रुपये की दर से अग्रिम अदा करें। सरकार महसूस करती है कि गन्ना उत्पादकों के हितों की हिफाजत के लिये यह जरूरी है कि गन्ने की न्यूनतम कीमत और लेवी शक्कर की कीमत बढ़ा दी जाय। तदनुसार सरकार ने एग्रीकल्चरल प्राईसेस कमिशन और भारत सरकार से दरख्वास्त की है। सरकार का यह पक्का इरादा है कि गन्ने की कमसे कम कीमत मुकर्रर करते वक्त गन्ने के कारखानों द्वारा गन्ना कटाई और परिवहन पर किए जानेवाला खर्च ख्याल में लिया जाय। उसी तरह लेवी शक्कर की कीमत मुकर्रर करते वक्त, लेवी शक्कर का स्टॉक रखने के लिए कारखानों को सूद के तौर पर जो खर्च करना पड़ता है वह सारा खर्च लेवी शक्कर की कीमत मुकर्रर करते वक्त ध्यान में लिया जाय। सरकार यह भी महसूस करती है कि उन शक्कर कारखानों के हित में, जो ऐसे इलाकों में स्थापित किये गये हैं, जहाँ गन्ने से कम शक्कर निकलती है और पेरने का मौसम छोटा होता है, वहाँ लेवी शक्कर की कीमतें मुकर्रर करने के लिये राज्य में तीन हिस्से बनाये जायें। इसे कारगर बनाने का भारत सरकार से प्रयत्न किया जा रहा है।

४९. राज्य के देहाती इलाकों में मौजूदा भंडार की सहूलतें नाकाफी हैं। सरकार ने विश्व बेंक की मदद से सहकारी देहाती भंडार की एक परियोजना शुरू की है जिसके तहत १,४२८ गोदाम बनाये जायेंगे। इनमें ४,७३,००० मेट्रिक टन अनाज रखा जा सकेगा और इसे बनाने में अंदाजन ३० करोड़ रुपये खर्च होंगे।

५०. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की मदद से भारत सराकार ने ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण का जो कार्यक्रम शुरू किया है, वह तुरंत ही राज्य के बारह और जिलों में शुरू किया

जायेगा। उम्मीद है कि चालू योजना काल में भारतीय कुषउद्योग निगम से ५० करोड़ रुपये की माली इमदाद मिलेगी।

५१. इस साल बारिश जल्दी और अचानक रुक जाने की वजह से १८ जिलों में खरीफ फसल को भारी नुकसान पहुँचा है। साथ ही बारिश का मौसम खत्म होने के बाद अक्टूबर १९८० में अपेक्षित बारिश न होने की वजह से काफी बड़े इलाके में रबी फसल को भी नुकसान पहुँचा है। इसमें १२,४७९ गाँवों मे कुल ५१.११ लाख हेक्टर फसली जमीन शामिल है। फसलों के कुल २९४.०६ करोड़ रुपये के नुकसान का अन्दाज है। सरकार इस नाजुक हालत से पूरी तरह वाकिफ है और पूरे जोर शोर से राहत उपायों को अपनाकर इसका मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस दिशा में जो उपाय किये गये हैं वे ये हैं :—

(एक) रोजगार गारंटी स्कीम के तहत क्षतिग्रस्त इलाकों में शुरू किये गये कामों में रोजगार देने का इंतजाम करना,

(दो) जिन इलाकों में पीने के पानी और चारे की कमी है या होने का खौफ है, वहाँ पीने के पानी और चारे की मुहैया में बढ़ोतरी करना,

(तीन) वृद्ध, दुर्बल और अपंग लोगों को नगद अनुदान देना।

इन उपायों पर दिसम्बर १९८० के आखिर तक ८५.९४ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

५२. राज्य सरकार के अनुरोध पर, केन्द्र के अधिकारियों के एक दल ने ८ फरवरी से ११ फरवरी १९८१ तक राज्य का दौरा किया और उन्होंने अभाव की स्थिति का जायजा लिया और एडवान्स प्लान एसिस्टन्स द्वारा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता मिले, इस बारे में सिफारिशें पेश कीं। आम तौर पर केन्द्रीय दल राज्य सरकार द्वारा स्थिति की गंभीरता के जायजे से सहमत था और प्रभावित इलाकों में अपनाये गये राहत उपायों से उसे समाधान हुआ। मेरी सरकार इन इलाकों के लोगों को आश्वासन देती है कि सरकार उनका हमेशा साथ देगी और इस कुदरती आपदा का सफलतापूर्वक सामना करने में उनकी मदद करेगी।

५३. हर सतह पर राजस्व कार्यालयों की तादाद बढ़ाने के और उनके कामकाज का ढंग स्पष्ट करने के दुहरे मकसद से सरकार ने राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन का एक कार्यक्रम शुरू किया। इससे प्रशासन, जनता के करीब होगा। १९८१-८२ से शुरू करके धीरे धीरे सबसे निचली सतह पर तलाठी-साझा और राजस्व परिमंडलों का पुनर्गठन किया जायेगा और उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। जनता की बहुत पुरानी माँग को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने विदर्भ में तालुकों का पुनर्गठन इस तरह करने का फैसला किया है कि, उनका और पंचायत समितियों का हलका एकसा रहे। इसीके साथ तालुका दफ्तरों का कामकाज ज्यादा कारगर ढंग से चले इस लिहाज से पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाडा के तालुकों का भी लाजिमी तरीके से पुनर्गठन किया जाएगा।

५४. दक्षिण रत्नागिरी और जालना के अलग अलग जिलों की माँग भी बहुत पुरानी है। १ मई १९८१ से सरकार ये दो नये जिले बनाएगी।

५५. जैसा कि सदन को मालूम है, राजस्व क्षेत्र प्रशासन के सबसे ऊँची सतह पर सरकार ने अमरावती और नासिक, ये दो नये डिविजन पहले ही बना लिए हैं, जिससे कि विकास के कामों में ज्यादा समन्वय हो और जिला प्रशासन पर अधिक निगरानी रहे।

५६. मराठवाडा इलाके की एक लम्बे अर्से से चली आ रही जायज मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि भारत सरकार की अनुमति से बम्बई उच्च न्यायालय की एक बेंच औरंगाबाद में १५ अगस्त, १९८१ तक कायम की जावे।

५७. प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सुझाव के अनुसार, सरकार १९८१-८२ से "हर बच्चे के लिए पीछे एक पेड़" लगाने की योजना अमल में ला रही है। ८ से १५ सालतक की उम्र के स्कूली छात्र इसमें हिस्सा लेंगे और अमल के पहले साल इसमें करीबन १,५०० स्कूल शरीक होंगे। जंगल लगाने का एक सामाजिक कार्यक्रम भी बड़े पैहाने पर हाथ में लिया जा रहा है।

५८. जंगलों की बंजर जमीन पर जंगल उगाना सरकार ने तय किया है। यह काम गरीब बेरोजगार लोगों की मदद से किया जाएगा, जिन्हें शुरु के कुछ वर्षों में पेड़ लगाने के बदले में कुछ निश्चित मजूरी दी जाएगी और बाद में पेड़ों के बढ़ जाने पर उनसे होनेवाली पैदावार में हिस्सा बँटवाने के वे हकदार होंगे।

५९. सिचाई के प्रोग्राम को ज्यादा अहमियत दी गई है। कुछ बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को जून १९८२ तक अंजाम देने से १.०० लाख हेक्टर ज्यादा जमीन सींचने की कूवत मिलेगी और इस प्रकार कुल १४.२१ लाख हेक्टर जमीन सींचने की कूवत पैदा होगी। वैसेही उसी अवधि में छोटी सिचाई स्कीमों से ०.१५ लाख हेक्टर ज्यादा जमीन सींचने की कूवत हासिल होगी।

६०. विदर्भ में वैनगंगा नदी परियोजना का काम शुरु करने का सरकार का फैसला है और जायकवाडी परियोजन अवस्था १ और २ का काम छठीं पंचवर्षीय योजना (१९८०-८५) की अवधि में पुरा करने का सरकारने ठान लिया है।

६१. मौजूदा सिचाई की कूवत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिये सरकार ने औरंगाबाद के नजदीक एक प्रशिक्षण संस्था कायम किया है जो कि सिचाई प्रबंध कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षण देगी।

६२. कोराड़ी और भुसावल थर्मल पावर स्टेशन व उरण गैस टरबाईन पावर स्टेशन की मौजूदा कम होकर ३३१६ मेगावाट बिजली पैदा करने की कूवत में ७५० मेगावाट और इजाफा करने की तजवीज है, जोकि ६३० मेगावाट थर्मल और ४० मेगावाट हायडल बिजली की कूवत के अलावा होगी। उम्मीद है कि यह चालू साल के आखिर तक मिलने लगेगी। छठीं पंचवर्षीय योजना में राज्य की बिजली पैदा करने की कुल कूवत को ६९७६ मेगावाट तक बढ़ाने की तजवीज है। इसमें मध्यप्रदेश के कोरबा में कायम भारत सरकार के सुपर थर्मल पावर स्टेशन से महाराष्ट्र को मिलनेवाली २१५ मेगावाट बिजली शरीक है। राज्य के थर्मल बिजली घरों में माकूल कोयला मुहैया करने पर नजर रखने के लिए हमारे अनुरोध पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक समिति बनाई

है। उसकी रिपोर्ट पर जल्दी फैसला हो जाने पर चन्द्रपुर में कायम हमारे थर्मल प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल जायेगी।

६३. देहातों में बिजली पहुंचाने के काम तेज करने और छठी योजना में हरिजन बस्तियों समेत राज्य के सभी गावों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा करने की सरकार की तजबीज है।

६४. उद्योग की दिशा में सरकार ने राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास करने के लिए कई कदम उठाये हैं। एम.आई.डी.सी. और दूसरी विकास करनेवाली एजन्सियों ने उद्योग की बुनियादी जरूरतों में जो इजाफा किया है, उनके अलावा औद्योगिक विकास के लिए अहम कदम उठाये गये हैं। उनमें, पिछड़े इलाकों में उद्योग-विकास की रफ्तार तेज करने के लिए पिछले साल शुरू की गई तरगीबसुदा पैकेज स्कीम, १९७९ के मार्फत प्रोत्साहन देना भी शरीक है। भंडारा जिले में मेसर्स अशोक लेलैंड लिमिटेड ऐसी एक युनिट है, जिसने इस योजना के तहत ८६ करोड़ रुपयों की पूंजी लगा कर एक परियोजना शुरू की है, जो सालाना १२,५०० बड़ी तिजारती गाड़ियां बनायेगी। इस परियोजना के जरिये ५,००० लोगों को सीधे तौर पर और २५,००० लोगों को सहायक और उप-क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि यह युनिट १९८२-८३ तक अपना उत्पादन शुरू कर देगी।

६५. चंद्रपुर जिले के राजुरा तहसील में प्राईवेट सेक्टर में दो सिमेंट के कारखाने खोले जा रहे हैं। इनकी कूवत क्रमशः ११.९ लाख टन और १० लाख टन है। उम्मीद है कि ये कारखाने १९८२ के आखिर तक उत्पादन शुरू कर देंगे।

६६. मौजूदा सरकार ने जबसे कामकाज संभाला है, हमारे राज्य में औद्योगिक मेलजोल में काफी सुधार हुआ है। १ जुलाई १९८० तक औद्योगिक हालत बहुत नाजुक थी। उस दौरान काम बन्द पड़ने की २८,९४० वारदातें हुई थीं। सदन में मुख्यमंत्री के बयान के मुताबिक नई सरकार ने औद्योगिक माहौल में सुधार करने के लिए कारगर कदम उठाये हैं। इन औद्योगिक झगड़ों को खत्म करने के इरादे से उन्होंने केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और मालिकों के एसोसिएशन के नेताओं से चर्चा की है। इस दिशा में बिल्कुल स्पष्ट नीति जाहिर की गई थी कि सरकार किसी भी कीमत पर औद्योगिक मेलजोल में कोई भी उग्र कार्यवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। औद्योगिक कामगारों के जायज हक पूरी तरह बरकरार रखते हुए और उनके हितों की रक्षा करते हुए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं। इस जोरदार कार्यवाही का काफी अच्छा असर पड़ा। इन कोशिशों से यह नतीजा निकला कि जो कामगार कामबन्दी में शरीक थे उनकी तादाद में तेजी से कमी हुई है। राज्य सरकार लगातार उत्पादन कायम रखने और कामगारों को वाजिब सहूलत देने के मकसद से औद्योगिक अमन कायम रखने के लिए कोशिश करती रहेगी।

६७. दस-पन्द्रह सालों से बोरघाट में नया सीधा रास्ता बनाने की लगातार कोशिश करते रहने के बाद भारत सरकार ने घाट में दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मंजूरी दे दी है और इस काम के लिए ३ करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उम्मीद है कि यह नया रास्ता बन जाने से बम्बई-पुणे के आमदरफ्त में काफी राहत मिलेगी। पुणे से दिघी बन्दरगाह राजमार्ग पर तम्हाणी

घाट प्रोजेक्ट को जो कि बम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग से कोलाड में जुड़ता है, अहमियत के तौर पर पूरा किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार माली इमदाद दे रही है। पुणे और रायगढ़ जिले के पिछड़े इलाकों को काफी राहत मिलने के साथ ही साथ यह बम्बई और पुणे के बीच दूसरे रास्ते का भी काम देगा।

६८. सरकार ने छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने का तसफिया किया है। इससे १,००० और उससे ज्यादा आबादी वाले सब गांवों में और जनजाति इलाके में ५०० और उससे ज्यादा आबादी वाले गांवों में पहुंच के रास्ते बनाये जायेंगे। हालांकि प्लानिंग कमीशन ने सातवीं योजनाकाल के आखिर तक १,५०० की आबादी वाले गांवों में सड़क बनाने की सहूलत देने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। फिर भी, इस सरकार ने छठीं पंचवर्षीय योजना के आखिर तक ही १,००० आबादी वाले सब गांवों को सड़क की सहूलत देने का वायदा किया है।

६९. लोक निर्माण कार्य महकमा में सरकार जो काम करना चाहती है उनके अलावा कुछ ये काम हैं:—

(क) विदर्भ में बाढ़ के समय डूबने वाले गांवों को जोड़ने के लिये सड़क बनाने का काम जिसपर ३.५१ करोड़ रुपये खर्च होने का अन्दाज है।

(ख) इस राज्य से मध्यप्रदेश राज्य और गोवा संघराज्य क्षेत्र के बीच अन्तर्राज्यीय आमदरफ्त की सहूलत देने के लिए वाघनखडी नदी और तेरेखोलक्रीक पर पुल बनाने का काम।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार की पोचमपाड परियोजना की वजह से पानी का बहाव पीछे की ओर होने के कारण नांदेड जिले में अस्तव्यस्त संचार व्यवस्था को फिर से चालू करने के लिये गोदावरी नदी पर पांच और मांजरा नदी पर दो पुल बांधने का काम।

(घ) न्यायपालिका के लिये प्रशासनिक और निवासी मकान बनाना।

७०. सरकार ने गांवों को साफ सुथरा पानी मुहैया करने की योजना को ज्यादा अहमियत दी है। और जल्द ही ज्यादा से ज्यादा गांवों को यह सहूलत देने का सरकार का इरादा है। इस सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के निर्माण कार्य और आवास मंत्री ने हमारे राज्य का दौरा किया और राज्य के उन गांवों में जहां कि पीने के पानी की समस्या है, पीने का पानी मुहैया करने के सवाल पर चर्चा की। इसके मुताबिक इन गांवों की एक तरमीमशुदा सूची भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है।

७१. सरकार ने आगामी ५ साल के दौरान राज्य के ऐसे तमाम गांवों में, जहां प्रायमरी पाठशालायें नहीं हैं, पाठशाला की इमारतें बनाने का तसफिया किया है और स्थानीय संस्थाओं की मौजूदा प्रायमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की तादाद में इजाफा करने के लिए प्रायमरी पाठशाला में अध्यापकों की तादाद मुकर्रर करने के नये तौर तरीके अपनाने का भी फैसला किया है। हालांकि यह काम बहुत बड़ा है क्योंकि करीब ४६,००० कमरे बनाने की जरूरत है। फिर भी, मेरी सरकार को यकीन है कि जनता के सहयोग और योगदान से इस सरकार की चालू अवधि में यह लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा।

७२. सरकार ने मान्यता प्राप्त पुस्तकालयों की तादाद में और ५०० का इजाफा करने का फैसला किया है।

७३. महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी को अपने कामकाज के लिए ६.२३ लाख रुपये की माली इमदाद इस गरज से दी गई है कि अगले पढ़ाई के साल से बम्बई विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग खोला जा सके।

७४. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग कला, साहित्य, खेलकूद वगैरह के मैदान में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं उन्हें अपने जीवन के आखिरी समय में आर्थिक तकलीफ भुगतनी पड़ती है और आखिरी क्षण में भी उन्हें अपने उन लोगों की फिक्र बनी रहती है, जो कि उनके सहारे पर होते हैं। उनके सगे-सम्बधी बेसहारा हो जाते हैं। उनके योगदान को वाजिब कीमत देने और उन्हें माली इमदाद देने की कितनी जरूरत है इसका नये सिरे से जिक्र करना गैरजरूरी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान खोला गया है जो कि ऐसे काबिल लोगों को नकद इनाम और माली इमदाद देगा। इसके लिए सरकारने दो करोड़ रुपये देने का वादा किया है। इसमें से दस लाख दिया जा चुका है।

७५. अगले साल में अनेक युवक कल्याण स्कीमें शुरु करने की तजवीज है। ये स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशिक्षण, गवेषणा, प्रलेखन, वगैरह के मैदान में माली इमदाद देने जैसी स्कीमें हैं। राज्य युवक केन्द्र कायम करने, युवकों के लिए समाज सेवा शिबिर लगाने, देहाती इलाकों में युवक कल्याण केन्द्रों को माली इमदाद देने और राज्य व डिवीजन के स्तर पर युवक मेला लगवाने के लिए भी ये स्कीमें होंगी। यह खुशी की बात है कि १९८२ के एशियाई खेलों की नौका दौड़ स्पर्धा बम्बई में होगी। राज्य सरकार उसको सब सहूलतें देने के लिए राजी है।

७६. सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को शिक्षाप्रद तरीके से तेजी से अमल में ला रही है।

७७. अपाहिज लोगों के कल्याण के लिए मौजूदा योजनाओं का मकसद और इरादे की हद और बढ़ायी जा रही है, ताकि उसका फायदा उन लोगों को और उनका कल्याण करने वाली संस्थाओं को बड़ी तादाद में मिल सके।

७८. भारत सराकार के रवैये के मुताबिक भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने और रियायतें देने के सवाल पर सरकार जोर से गौर कर रही है।

७९. १ लाख से कम आबादीवाले छोटे और मध्यम शहरों का चौतरफा विकास करने की भारत सरकार की जो नई योजना है, उस योजना के तहत सरकार ने ऐसे २३ शहरों का प्रोजेक्ट उसकी मंजूरी के लिए पेश किया है। इनमें से रत्नागिरी समेत ८ परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इस मकसद के लिए भारत सरकार ने ७०.२५ लाख रुपये का कर्ज मंजूर किया है। भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए जो योजनायें अभी बाकी है, उनकी मंजूरी के लिए भी पूरी कोशिश करने का सरकार का इरादा है।

८०. सरकार ने संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों को राज्य सरकार से चर्चा करने के लिए बम्बई बुलाने का रिवाज शुरू किया है, ताकि इसकी समस्याओं को तुरंत ही हल किया जा सके। इस तरह भारत सरकार के आवास मंत्री ने मुख्य मंत्री से चर्चा करने के लिए २८ जून १९८० को राज्य का दौरा किया। उसी तरह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने २१ जनवरी १९८१ को राज्य का दौरा किया। इस चर्चा में बहुत से पुराने मसलों को राज्य के पक्ष में हल किया गया और सरकार केन्द्रसे मिले सहयोग और सहायता के प्रति कृतज्ञ है।

८१. अब मैं उस खास मुद्दे को बताना अपना फर्ज समझता हूं जो कि पिछले कई सालों से मेरी सरकार की नजर में फिक्र का मसला बना हुआ है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरहद का मसला है। उम्मीद है कि यह मसला, जो कि पिछले २३ सालों से पड़ा हुआ है, वाजिब तरीके से सुलझा लिया जायेगा।

८२. आखिर में मैं उन सब मसविदे कानून की चर्चा करूंगा, जो कि आपके सामने पेश किये जायेंगे। मसविदे कानून ये हैं:—

(1) The Industrial Disputes and the Payment of Unemployment Allowance to Workmen in Factories (For Temporary Period) (Amendment) Bill, 1981.

(2) The Bombay Provincial Municipal Corporations, City of Nagpur Corporation and Maharashtra Municipalities (Amendment) Bill, 1981.

(3) The Maharashtra Vacant Lands (Further Interim Protection to Occupiers from Eviction and Recovery of Arrears of Rent) (Extension of Duration) Bill, 1981.

(4) The Maharashtra Housing and Area Development (Amendment) Bill, 1981.

(5) The Maharashtra Municipalities (Amendment) Bill, 1981.

(6) The Code of Criminal Procedure (Maharashtra Amendment) Bill, 1981.

(7) The Bombay Sales Tax (Amendment) Bill, 1981.

(8) The Prince of Wales Museum Bill, 1981

(9) The Maharashtra Raw Cotton (Procurement, Processing and Marketing) (Extension of Duration), Bill, 1981.

(10) The Bombay Land Requisition and Bombay Government Premises (Eviction) (Amendment) Bill, 1980—L.A. Bill No. LXVII of 1980.

(11) The Maharashtra (Supplementary) Appropriation Bill, 1981.

(12) The Maharashtra Appropriation (Vote on Account) Bill, 1981.

(13) The Maharashtra Appropriation Bill, 1981.

(14) The Bombay Police (Amendment) Bill, 1981.

८३. मैंने जिन बातों का जिक्र किया है, आप जरूर उनकी इत्मिनानी करेंगे कि सरकार समाज के कमजोर तबकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए कारगर कदम उठायी है और उठा रही है और राज्य की कृषि–आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में काफी तरक्की की है।

८४. आपने यह सब शांति के साथ सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप विधायक के नाते अपने फर्ज का जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के साथ पालन करेंगे और मैं आप सब के लिये कामयाबी की कामना करता हूं।

जय हिंद !

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, बम्बई